



प्रेस विज्ञप्ति

18.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 17.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अशोककुमार एकनाथ खरात उर्फ कैप्टन उर्फ भोंदू बाबा, उसकी पत्नी कल्पना खरात तथा चार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन के अपराध, जो धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय है, के लिए अभियोजन शिकायत दाखिल की है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 15.07.2026 को ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत आरोपी एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर धारित 19.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया। यह कार्रवाई अप्रैल एवं मई 2026 के दौरान पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के अंतर्गत आरोपियों एवं उनके सहयोगियों से संबंधित विभिन्न परिसरों, बैंक लॉकरों तथा वाहनों पर की गई तलाशी के दौरान जब्त/फ्रीज की गई 17.70 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों के अतिरिक्त है। इस प्रकार, इस मामले में अब तक लगभग 36.90 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां कुर्क, जब्त अथवा फ्रीज की जा चुकी हैं।

ईडी ने सरकार वाड़ा, शिर्डी, सिन्नर एवं राहाता पुलिस थानों में दर्ज अनेक प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच प्रारंभ की। जांच में यह सामने आया कि अशोककुमार एकनाथ खरात ने श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का दुरुपयोग करते हुए "अवतार पूजा" कराने, बीमारियों का उपचार करने, दुर्भाग्य को दूर करने तथा व्यापार में समृद्धि सुनिश्चित करने का झूठा प्रलोभन देकर उनसे धन एवं संपत्तियां प्राप्त कीं। इस प्रकार उसने जबरन वसूली, धोखाधड़ी एवं आपराधिक भयादोहन के माध्यम से अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की।

जांच में आगे यह भी पाया गया कि खरात ने स्वयं को दैवीय शक्तियों से युक्त तथा भगवान शिव का अवतार बताकर श्रद्धालुओं को धोखा दिया। उसने दो सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से, एक कर्मचारी की मिलीभगत से अनेक खातों का कपटपूर्ण संचालन करते हुए तथा बड़ी मात्रा में नकद जमा एवं परिपक्वता (मेच्योरिटी) की राशि सहित नकद निकासी के लिए अनेक बेनामी खातों का उपयोग कर अपराध से अर्जित आय का धन शोधन किया। धन शोधन की गई राशि को उसके विश्वस्त सहयोगियों के पास रखा गया अथवा नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, पुणे एवं मुंबई में उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।

इससे पूर्व ईडी ने धन शोधन के अपराध में दिनांक 19.05.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत अशोककुमार एकनाथ खरात को गिरफ्तार भी किया था। वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।